न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नन्दकिशोर बनाम मंगली देवी वगैरह

मुकदमा - 25/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा	
11-8-21	वकुलाम उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादीगण बहस हेतु अवसर चाहते है। न्याय-हित मे अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 2-9-2021 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
2-9-21	वकुलाम उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादीगण बहस हेतु अवसर चाहते है। वकील वादीगण को न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस आवश्यक रूप से पत्रावली दिनांक 23-9-2021 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
23.09.2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:24:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
25/2019	2019/00126	04.04.2019	23.09.2021

उनवान

1. नन्दकिशोर पुत्र स्व0 भूराराम उम्र– 55 वर्ष
2. हरलाल सिंह पुत्र स्व0 भूराराम उम्र– 50 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. मंगली देवी पुत्री स्व0 मुरलीराम उम्र– 60 वर्ष, जाति जाट निवासी ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर हाल सेवा की ढ़ाणी भोजपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर
2. भागली देवी पुत्री स्व0 भूराराम उम्र– 48 वर्ष
3. आंची देवी पुत्री स्व0 भूराराम उम्र– 45 वर्ष
4. चन्द्रा देवी पुत्री स्व0 भूराराम उम्र– 40 वर्ष
5. कमली देवी पुत्री स्व0 भूराराम उम्र– 38 वर्ष
6. मंजू देवी पुत्री स्व0 भूराराम उम्र– 35 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासीगण नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, वादीगण अभिभाषक।

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर, प्रतिवादी नं. 7

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:24:01 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार [illegible] ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तु[illegible] कि [illegible] भूमि [illegible] नम्बर 529 से 532, 548 से 552, 560 कुल किता 10 कुल रकबा 10.30 हैक्टेयर [illegible] नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर में दर्ज होकर 1/4 [illegible] की खातेदारी प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज चली आ रही है। जो कि गलत है। ज[illegible] उक्त 1/4 हिस्से पर वादीगण कदीम से वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 आपस में एक ही परिवार खानदान से हैं। उक्त [illegible] खानदान के अनुसार मृत्तक

23/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रामकुंवार के दो पुत्र क्रमशः भूराराम एंव मुरलीराम हुये तथा भूराराम के दो पुत्र वादीगण नन्दकिशोर, हरलाल एंव पांच पुत्रियॉ क्रमशः भागली देवी, आंची देवी, चन्द्रा देवी, कमली देवी, मंजू देवी हुई है तथा मुरलीराम के केवल एक पुत्री संतान मंगली देवी प्रतिवादिया नं. 1 उत्पन्न हुई है। प्रतिवादिया नम्बर 1 के पिता वादीगण के पास ही रहते थे तथा उनके नाम दर्ज भूमि पर वादीगण ही काबिज थे। प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता के स्वर्गवास पर अन्तिम क्रियाकर्म भी वादीगण द्वारा किये गये थे तथा प्रतिवादीया नम्बर 1 के पिता की पगड़ी भी वादी नम्बर 2 के बंधी थी। प्रतिवादिया नं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 जो वादीगण के हक हिस्सा में आई है तथा वादीगण ही अर्सा कदीम से उक्त 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादिया नं. 1 शादीशुदा होकर अपने ससुराल रहती है तथा वादीगण ने अपने भाई होने के नाते समस्त दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है एंव भात पेज आदि भरे है एंव वर्तमान में भी निर्वहन करते चले आ रहे है तथा वादीगण की बहिनों प्रतिवादीगण नं. 2 ता 6 का भी उक्त वादीगण की वादग्रस्त 1/4 हिस्से की भूमि से कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है। इन पांचों भाईयों के प्रति वादीगण ने अपने भाई होने के नाते समस्त दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। उक्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रक कृषि भूमि है एंव वादीगण 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त एंव आबाद चले आ रहे है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण एंव दीगर किसी का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है। वादीगण राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने एंव उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादिया नं. 1 का नाम हजफ करवाने का अधिकारी होने से उक्त वादग्रस्त भूमियों के 1/4 हिस्से का वादीगण को बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उक्त हिस्से से प्रतिवादी नं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र में किया गया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी नं. 7 की तामील असालतन होने जाने पर हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 की ओर से वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवाया जा चुका है। साक्ष्य वादीगण में वादी का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र व वादी गवाह में मन्ना पुत्र बालूराम का लिखितशुदा शपथ पत्र किये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से वकील वादीगण ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया।

हमनें वादीगण अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 (2017–2020) 2021–2024, जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2032, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) व मिलान क्षेत्रफल इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से पाया गया कि भू प्रबन्ध विभाग सीकर से जारी खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी में दर्ज पुराने खसरा नम्बर 172/1,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:24:01 IST
Reason: SelfAttested

23/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

172/2, 172/3, 172/4 की खातेदारी रामकुवांर वल्द भानू जाट व बालू वल्द जवाना मीना सां. नागंल भीम के नाम एंव जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2020 में खातेदारी मुरली, भूरा पित0 रामकुंवार जाट व अन्य के नाम सम्वत् 2032 तक चली आ रही है। जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक कृषि भूमि होना सिद्ध होता है। जिसके आधार पर ही उक्त हिस्सों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होना स्पष्टतः प्रकट होता है। जिसको प्रतिवादीगण पक्षकारान् ने वादीगण के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। वादीगण साक्ष्य में गवाहान् ने भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये है, जिससे भी वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा व साक्ष्य में पेश शपथ पत्र से भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। जिसके आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 529, 530, 531, 532, 548, 549, 550, 551, 552, 560 कुल किता 10 कुल रकबा 10.30 हैक्टर में प्रतिवादीया नम्बर 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से का वादीगण को बराबर—बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान् के 1/4 हिस्से से प्रतिवादिया नं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त की जावें। इसी कदर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

Rathore 23/09/21
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:24:01 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 23/09/21
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)